पत्रावली पेश हुई अभिभाषक उभय पक्ष उपस्थित हैं। आज श्रीमान उपखण्ड अधिकारी राज्य कार्यवश बाहर दौरे मे तशरीफ रखते है। अन्य कार्य मे व्यस्त है। अभिभाषणगण कन्डोलेन्स पर है। अतः पत्रावली साबिक कार्यवाही हेतु दिनांक 10-2-17 को पेश हों।

10-2-17 पत्रावली पेश हुई अभिभाषक उभय पक्ष उपस्थित हैं। आज श्रीमान उपखण्ड अधिकारी राज्य कार्यवश बाहर दौरे मे तशरीफ रखते है। अन्य कार्य मे व्यस्त है। अभिभाषणगण कन्डोलेन्स पर है। अतः पत्रावली साबिक कार्यवाही हेतु दिनांक 24-3-17 को पेश हों।

राजस्व लोक अदालत अभियान 2016
न्याय आपके द्वार,
[illegible]

11-2-17 पत्रावली को लोक अदालत में आज सब जाकर सुना गया प्रार्थी व प्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित बहस सुनी गई राष्ट्रीय लोक अदालत की भावना को मद्देनजर रखते हुए प्रार्थना पत्र निस्तारित किया गया। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल फाईल किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, लाखेरी जिला बून्दी

प्रार्थना पत्र सं· 253/2014 पीठासीन अधिकारी - गरिमा लाठा (RAS)

दायरा दिनांक 8·10·2014

बउनवान

1. महेन्द्रपाल आ० ग्यारसा आयु 50 वर्ष जाति बैरवा निवासी सुमेरगंजमण्डी हाल निवासी माचिस फेक्ट्री के पीछे वार्ड नं· 59 कोटा, तहसील लाडपुरा जिला कोटा

प्रार्थी

बनाम

1. बाबूलाल आ० ग्यारसा जाति बैरवा निवासी सुमेरगंजमण्डी तहसील इन्द्रगढ़
2. मोहन आ० ग्यारसा जाति बैरवा निवासी ग्राम सुमेरगंजमण्डी तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी
3. पुख्या पुत्री ग्यारसा जाति बैरवा निवासी लालकोठी के पास कोटा
4. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार इन्द्रगढ़ जिला बून्दी

- अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम

निर्णय

दिनांक 11·02·17

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राज· भूराजस्व अधिनियम के तहत अप्रार्थीगण के विरूद्ध पेश कर कथन किया कि प्रार्थी व अप्रार्थीगण सं 1 लगायत 3 के संयुक्त कब्जे काश्त एवं सहखातेदारी की कृषि भूमि खसरा सं· 251 रकबा 0·54 है· वाके ग्राम मुई तहसील इन्द्रगढ़ जिला बून्दी मे स्थित है। प्रार्थी व अप्रार्थीगण के पिता ग्यारसा थे। ग्यारसा के 3 पुत्र - मोहन, बाबू, महेन्द्रपाल व एक पुत्री पुख्या बतौर वारिसान

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

क्रमशः....

जीवीत है। ग्यारसा के लदूर नाम का कोई पुत्र नही था और न ही वर्तमान में जीवीत है। प्रार्थी लदूर व महेन्द्रपाल दोनो नाम से जाना व पहचाना जाता है। प्रार्थी के सभी सरकारी दस्तावेजो में भी महेन्द्रपाल पिता ग्यारसा ही दर्ज हो रहा है। विवादित आराजी में राजस्व रिकार्ड में सहवन से प्रार्थी का नाम महेन्द्रपाल के स्थान पर लदूर दर्ज कर दिया। प्रार्थी ने प्रर्थना कि उक्त वर्णित आराजी के राजस्व रिकार्ड में लदूर के स्थान पर महेन्द्र अंकित किये जाने का आदेश प्रदान करें।

प्रर्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जर्ये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी सं. 1, 2 व 4 बाद तामील अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध दिनांक 29.7.2016 को एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी अप्रार्थी सं. 3 की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने राष्ट्रीय लोक अदालत में उपस्थित होकर प्रर्थना पत्र स्वीकार किये जाने पर कोई आपत्ति जाहिर नही की। प्रार्थी का साक्ष्य शपथ पत्र पर लिया गया। बहस सुनी गयी। प्रकरण का निस्तारण लोक अदालत की भावना को मध्यनजर रखते हुए किया जा रहा है।

न्यायालय द्वारा पत्रावली व उपलब्ध दस्तावेजो का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज - मतदाता पहचान पत्र, विद्युत कनेक्शन का बिल, परिवार राशनकार्ड, टीसी. प्रमाण पत्र, जल कनेक्शन का बिल, आधार, मतदाता सूची में प्रार्थी का नाम महेन्द्रपाल पिता ग्यारसा दर्ज है जबकि वाद विषयक आराजी के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम लदूर आ. ग्यारसा दर्ज हो रहा है जो दुरस्त किया जाना न्यायोचित है।

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

क्रमश.....

जीवीत है। ग्यारसा के लदूर नाम का कोई पुत्र नही था और न ही वर्तमान में जीवीत है। प्रार्थी लदूर व महेन्द्रपाल दोनो नाम से जाना व पहचाना जाता है। प्रार्थी के सभी सरकारी दस्तावेजो में भी महेन्द्रपाल पिता ग्यारसा ही दर्ज हो रहा है। विवादित आराजी में राजस्व रिकार्ड में सहवन से प्रार्थी का नाम महेन्द्रपाल के स्थान पर लदूर दर्ज कर दिया। प्रार्थी ने प्रार्थना कि उक्त वर्णित आराजी के राजस्व रिकार्ड में लदूर के स्थान पर महेन्द्र अंकित किये जाने का आदेश प्रदान करें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जर्ये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी सं. 1, 2 व 4 बाद तामील अनुपस्थित रहने से उनके विरुद्ध दिनांक 29.7.2016 को एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी अप्रार्थी सं. 3 की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने राष्ट्रीय लोक अदालत में उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने पर कोई आपत्ति जाहिर नही की। प्रार्थी का साक्ष्य शपथ पत्र पर लिया गया। बहस सुनी गयी। प्रकरण का निस्तारण लोक अदालत की भावना को मध्यनजर रखते हुए किया जा रहा है।

न्यायालय द्वारा पत्रावली व उपलब्ध दस्तावेजो का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज - मतदाता पहचान पत्र, विद्युत कनेक्शन का बिल, परिवार राशनकार्ड, टीसी. प्रमाण पत्र, जल कनेक्शन का बिल, आधार, मतदाता सूची में प्रार्थी का नाम महेन्द्रपाल पिता ग्यारसा दर्ज है जबकि वाद विषयक आराजी के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम लदूर आ. ग्यारसा दर्ज हो रहा है जो दुरस्त किया जाना न्यायोचित है।

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बूंदी)

क्रमश.....

प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र के चरण सं.1 में वर्णित भूमि खसरा सं. 251 रकबा 0.54 है. वाके ग्राम मुई तहसील इन्द्रगढ़, जिला बून्दी के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम लटूर पिता ग्यारसा के स्थान पर लटूर उर्फ महेन्द्र पि. ग्यारसा दर्ज किये जाने हेतु राजस्व रिकार्ड को दुरस्त करने का आदेश तहसीलदार इन्द्रगढ़ को प्रदान किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 11.02.17 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)